

	आईएसओ 9001: 2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./ Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/30 /IIVR/IS 15/30
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं.:0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या:1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 2 का 1 Page No. 1 of 2

सीधे क्रय किये जाने वाले समान का मांग पत्र

(जेम के माध्यम से ₹50,000/- तक तथा अन्य मामलों में ₹25,000/- तक की खरीद हेतु)

1.	लेखा शीर्ष (संस्थान प्रमुख/परियोजना का नाम)	
2.	मांगकर्ता का नाम और पदनाम	
3.	प्रभाग/इकाई/केंद्र	
4.	आवश्यक वस्तुओं का विवरण मात्रा सहित	
5.	मांगी गई वस्तुओं का उपयोग/औचित्य	
6.	क्रय का माध्यम	जेम/अग्रिम आहरण/बिल आधार
7.	जेम आइ.डी. संख्या, यदि उत्पाद जेम पर उपलब्ध है	
8.	व्यय का विवरण	

प्रमाणित किया जाता है कि :

- (क) भण्डार में मांग पत्र की मद उपलब्ध नहीं है/ शीघ्र समाप्त होने वाली है और उसका प्रयोग शीघ्र किया जाना है।
- (ख) मांग पत्र का मद जेम पर उपलब्ध नहीं है (यदि अग्रिम/बिल आधार लाया जाता है।)
- (ग) मांगी गई वस्तुओं का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें मांगा गया है।
- (घ) व्यय बिल/भुगतान आधार पर किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है अथवा खरीद की अप्रत्याशित आपातकालीन प्रकृति /जेम पर अनुपलब्धता के कारण अग्रिम राशि की आवश्यकता है।
- (ड.) मेरे नाम पर कोई भी पिछला अग्रिम बकाया नहीं है/पिछले अग्रिम का समायोजन पहले ही जमा किया जा चुका है।

अनुमोदित एवं अग्रसारित

मांगकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर

संबंधित प्रभारी का नाम एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

	आईएसओ 9001: 2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/30 /IIVR/IS 15/30
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं.: 0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या: 1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 2 का 2 Page No. 2 of 2

INDENT FORM FOR DIRECT PURCHASE OF GOODS

(Upto Rs. 50,000/- for purchase through GeM and Rs. 25,000/- in other cases)

1.	Head of Account (Institute Head/ Project Name)	
2.	Name & Designation of the Indenter	
3.	Division/ Unit/ Centre	
4.	Details of Items required with quantities	
5.	Purpose/ Justification for the Indented items	
6.	Mode of Purchase	GeM/ Drawal of Advance/ Bill Basis
7.	GeM Id no., if product is available on GeM	
8.	Expenditure Involvement	

Certified that:

- a. The Indented items are not available in the stock/ are to be exhausted soon and are required for immediate usage
- b. The Indented items are Not Available on GeM (if procured through Advance/ Bill Basis).
- c. The Indented items shall be utilized only for the purpose for which they have been indented.
- d. Expenditure can/ cannot be incurred on bill/ payment basis OR advance is required due to unforeseen emergent nature of purchase/ non-availability on GeM.
- e. No any previous advance is pending against my name/ adjustment of previous advance has already been submitted.
- f. The advance shall be utilized within 15 days of the drawal of the advance & adjustment shall be submitted immediately thereafter, failing which office may recover penal interest and principal amount as per norms.

Recommended & forwarded

**(Dated Signature & name of
the concerned in-charge)**

**(Dated Signature of
the Indenter)**

	आईएसओ 9001: 2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/30 /IIVR/IS 15/30
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं.: 0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या:1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 2 का 2 Page No. 2 of 2

अनुशंसित

प्रशासन की टिप्पणियाँ/अनुशंसा	
लेखा-परीक्षा एवं लेखा अनुभाग की वित्तीय सहमति	

	आईएसओ 9001: 2015 दस्तावेज ISO 9001 : 2015 DOCUMENT		दस्तावेज सं./Doc. No: भासअनुसं/आईएस 15/30 /IIVR/IS 15/30
	भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi		दिनांक/Dated: 12/10/2018
	संशोधन सं.: 0.0 Revision No.: 0.0	निर्गम संख्या:1.0 Issue No.: 1.0	पृष्ठ सं. 2 का 2 Page No. 2 of 2

Recommended

Comments/ Recommendation of the Administration	
Financial Concurrence of the Audit & Accounts Section	
Approval & Sanction/ Orders of the Competent Authority	